

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31/05/2019

क्रमांक एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा शर्तों) नियम 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत 01 जनवरी 2017 को कनिष्ठ सेवा वेतनमान में जिन अधिकारियों द्वारा 06 वर्ष की सेवा पूर्ण की गई है, के लिए मध्यप्रदेश वित्त सेवा कनिष्ठ श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु वर्ष 01.01.2017 की रिक्तियों के आधार पर दिनांक 31.01.2017 को संपन्न विभागीय चयन समिति, प्रथम परिभ्रमण समिति की बैठक दिनांक 24.03.2017, द्वितीय बैठक दिनांक 04.04.2017, तृतीय बैठक दिनांक 06.05.2017 के क्रम में परिभ्रमण चयन समिति की बैठक दिनांक 01.05.2019 को संपन्न हुई।

2 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत निम्न अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

क्रमांक	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1	श्री पैट्रिक तिकी	सहायक संचालक, कार्या.संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल	दिनांक 01.01.2017 से

2/ उपरोक्त अधिकारियों का वास्तविक रूप से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 01.01.2017 से वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के वेतन भत्ते एरियर आदि "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर देय नहीं होंगे, किंतु उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगा।

3/ उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

उप संचालक
वित्तीय प्रशासन सूचना
वित्त विभाग, भं

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(ए)/1/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 31/05/2019

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टॉफ ऑफिसर,
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल,
4. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल,
5. संबंधित अधिकारी,.....

के विरुद्ध वर्तमान में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो, अथवा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किए गए हों, अथवा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शास्ति प्रभावशील हो अथवा अभियोजन/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो ऐसी स्थिति में यह आदेश संबंधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे और वस्तुस्थिति से शासन को तत्काल अवगत कराया जावे।

6. गार्ड फाईल.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग